

प्रेषक,

डा० सूर्य प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ शिक्षा निदेशक (मा०) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2014

विषय:- इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय-एक विनियम-15, अध्याय-सात (संस्थाओं को मान्यता) के विनियम-(5),(20) (अ), अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी विनियम) के विनियम-3(ग) एवं 7(क) में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-मा०शि०प०/परिषद-9/डी०ई०/430, दिनांक 26 सितम्बर, 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय-एक विनियम-15, अध्याय-सात (संस्थाओं को मान्यता) के विनियम-(5),(20) (अ) एवं अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी विनियम) के विनियम-3(ग) तथा विनियम-7(क) में उल्लिखित प्राविधानों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

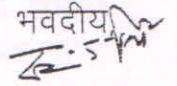
2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय-एक विनियम-15, अध्याय-सात (संस्थाओं को मान्यता) के विनियम-(5),(20) (अ) एवं अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी विनियम) के विनियम-3 (ग) तथा विनियम-7(क) में प्रस्तावित संशोधन के प्रस्ताव को एतद्वारा श्री राज्यपाल माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16(2) के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परिषद् विनियमों के अध्याय-एक विनियम-15, अध्याय-सात (संस्थाओं को मान्यता) के विनियम-(5),(20)(अ) एवं अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी विनियम) के विनियम-3 (ग) तथा विनियम-7(क) में संशोधन का प्रारूप संलग्न है।

3- परिषद् विनियमों के अध्याय-एक विनियम-15, अध्याय-सात (संस्थाओं को मान्यता) के विनियम-(5),(20)(अ) एवं अध्याय-बारह (परीक्षा संबंधी विनियम) के विनियम-3 (ग) तथा विनियम-7(क) में उक्त संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों का सत्र माह अप्रैल से प्रारम्भ कराये जाने में सम्पादित होने वाली समस्त कार्यवाहियों की तिथियों को उक्त संशोधनों के अतिरिक्त यथावत रखते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त व्यवस्थायें भी सुनिश्चित की जायेगी :-

- (I) माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० की परीक्षाओं की समय-सारिणी इस प्रकार निर्धारित की जाय कि हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाएँ 31 मार्च तक सम्पन्न हो जाये।

- (II) परीक्षा समाप्ति के पश्चात उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु प्रदेश में लगभग 250 विद्यालयों को मूल्यांकन केन्द्र बनाया जाता है। मूल्यांकन केन्द्र पर लगभग सभी विद्यालयों के प्रमुख-प्रमुख विषयों के अध्यापक उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु नियुक्त किये जाते हैं। मूल्यांकन कार्य 15-20 दिनों तक चलता है जिससे इस अवधि में लगभग सभी विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित रहेगा। अतः मूल्यांकन की अवधि में विद्यालयों में विशेष अवकाश घोषित किया जायेगा।
- (III) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल प्रायः मई के अन्तिम सप्ताह अथवा जून के प्रथम सप्ताह तक घोषित होता है, तत्पश्चात् छात्र/छात्राओं को 15 से 20 जून तक प्रमाण पत्र/अंकपत्र आदि निर्गत किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र/छात्राओं को कक्षा-11 में अध्ययन हेतु अप्रैल में Provisional प्रवेश देने की व्यवस्था लागू की जायेगी।

4- उक्त के संबंध में कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय


(डा० सूर्य प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

पू०संख्या-1289(1)/15-7-2014 तददिनांक

५

प्रतिलिपि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

परिषद विनियमों के अध्याय-एक विनियम-15 में संशोधन।

विनियम संशोधन का प्रारूप

वर्तमान स्वरूप	संशोधित स्वरूप
<u>विनियम-15</u> शैक्षिक वर्ष का अर्थ 01 जुलाई से उसके पश्चात् आने वाली 30 जून तक की अवधि है।	<u>विनियम-15</u> शैक्षिक वर्ष का अर्थ 01 अप्रैल से उसके पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक की अवधि है।

अध्याय-सात (संस्थाओं को मान्यता) के विनियम-(5),(20) (अ) में संशोधन

वर्तमान स्वरूप	संशोधित स्वरूप
<u>विनियम-5(20)(अ)</u> परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक मान्यता के समस्त प्रकरणों का निस्तारण प्रत्येक दशा में करा लिया जायेगा।	<u>विनियम-5(20)(अ)</u> परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक मान्यता के समस्त प्रकरणों का निस्तारण प्रत्येक दशा में करा लिया जायेगा।

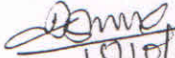
अध्याय-बारह (परीक्षा सम्बन्धी विनियम)

विनियम-3(ग) में संशोधन

वर्तमान स्वरूप	संशोधित स्वरूप
<u>विनियम-3(ग)</u> संस्थाओं के प्रधान विद्यालय की निर्धारित क्षमता (मान्य कक्षाओं) के अनुरूप दिनांक 01 अक्टूबर तक पंजीकृत अभ्यर्थियों से भरवाये गये अग्रिम पंजीकरण आवेदन-पत्र एवं नामावली की एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से विलम्बतम 10 अक्टूबर तक परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे।	<u>विनियम-3(ग)</u> संस्थाओं के प्रधान विद्यालय की निर्धारित क्षमता (मान्य कक्षाओं) के अनुरूप दिनांक 31 अगस्त तक कक्षा-9 एवं 11 में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं के विवरण (अग्रिम पंजीकरण) परिषद की वेबसाइट पर आन लाइन पंजीकृत कराकर अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली एवं तत्संबंधी आवश्यक प्रपत्रों की एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से विलम्बतम 10 सितम्बर तक परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित करना होगा।

अध्याय-बारह (परीक्षा सम्बन्धी विनियम)
विनियम-7(क) में संशोधन

वर्तमान स्वरूप	संशोधित स्वरूप
<u>विनियम-7(क)</u> मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधान का छात्रों का कक्षा-9 से 10 अथवा कक्षा-11 से 12 में प्रोन्नति करने का निर्णय प्रत्येक वर्ष के जून के अन्त तक अन्तिम रूप से हो जायेगा।	<u>विनियम-7(क)</u> मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधान द्वारा छात्रों का कक्षा-9 से 10 अथवा कक्षा-11 से 12 में प्रोन्नति करने का निर्णय प्रत्येक वर्ष के मार्च के अन्त तक अन्तिम रूप से हो जायेगा।


(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।